संचिका सं0–3 / एम0–29 / 2016सा0प्र0 8811

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार, पटना।

प्रेषक,

राजेन्द्र राम
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 18-7-2017

विषयः– विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में दंड संसूचन से पूर्व ही आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु होने के उपरान्त विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के कंडिका–11 (2) में निलंबन अवधि में सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में सरकारी सेवक के निलंबन अवधि के विनियमन संबंधी प्रावधान निम्नवत् है– *"इस नियमावली के नियम–10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी निलंबित सरकारी सेवक के विरुद्ध शुरू की गयी अनुशासनिक या न्यायालीय कार्यवाही पूरी होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी हो वहाँ निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जायेगी और उसके परिवार को उस अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह निलंबित नहीं होने पर हकदार होता। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा।"*

2. प्रसंगाधीन बिन्दु पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–11012 / 7 / 99–स्था0 (A) द्वारा परिचारित स्पष्टीकरण निम्नवत हैः–

" .... After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where Government Servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS(CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government Servant. {Deptt. Of Personnel & Training OM No. 11012/7/99-Estt. (A) dated 20th October, 1999}"

3. विचाराधीन विषय पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से भी परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत है–

" In view of the aforesaid, I am of the considered view that Rule 11(2) of the Bihar Government servant CCA Rules, 2005 is very clear and unambiguous on the

point in issue. The departmental proceeding instituted against a Government servant. shall stand abated and terminated on the date of death of that employee if the proceedings has not been concluded. The conclusion of a departmental proceeding in my opinion would coincide with the last act required to be done in the departmental proceeding as envisaged u/s 18 of the Bihar Govt. Servant CCA Rules 2005. Mere submission of enquiry report holding delinquent guilty in a departmental proceeding cannot give an assumption that the departmental proceeding stands concluded."

4. अतः वर्णित स्थिति में विचाराधीन विषय के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि **"विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में, विचारण के किसी भी चरण में, आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जायेगा।"**

विश्वासभाजन

18.7.2017

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव,